संख्याः 266/ (वि.आ.निदें.) XXVII(1) /2022

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— **सचिव,**
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2— **सचिव,**
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग—1 :: **देहरादून :: दिनांकः** 02 मई, **2022**

विषयः— पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की रिपोर्ट के अध्याय—8, ''संक्रमण की योजना'' में स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शक सिद्वान्तों का निर्धारण।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243 झ (4) अनुच्छेद 243 म (2) में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड (पंचायती राज संस्थाऐं एवं शहरी स्थानीय निकायें) का प्रतिवेदन, आयोग की संस्तुतियों पर सरकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाऐं एवं शहरी स्थानीय निकायों) को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैः—

1. पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आयोग की अवार्ड अवधि (वर्ष 2021—26) में राज्य के निज कर राजस्व (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति छोड़कर) का 10.50 प्रतिशत भाग अंतरण के रूप में शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) को देय होगा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच **60:40** के अनुपात में वितरित किया जायेगा।

(क) शहरी स्थानीय निकायेंः—

1. शहरी स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित 60 प्रतिशत अंश में से नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में परस्पर वितरण **40:47:13** के अनुपात में किया जायेगा। आयोग द्वारा क्षैतिज अंतरण हेतु लिये गये संकेतकों को निम्नवत् भारांक दिया गया हैः—

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	आबादी	क्षेत्रफल	कर प्रयास	पृथकता	विशेष व्यवस्था
1	नगर निगमें	60%	20%	10%	10%	-
2	नगर पालिका परिषदें	65%	10%	15%	5%	5%
3	नगर पंचायतें	65%	10%	15%	5%	5%

2. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष ₹1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च क. जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

3. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नव सृजित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को संस्तुत सहायता अनुदान की राशि को उनके द्वारा अनुशंसित सूत्र या सहायता अनुदान में शामिल नहीं किया गया है, उनके संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तांतरण राशि से ऐसी धनराशि की कटौती की जाऐगी।

4. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से प्राप्त हो रहा था।

5. तीन गैर नगर पंचायतों को प्रतिवर्ष सहायता निम्नवत दिया जायेगाः—

   बद्रीनाथ ₹2.00 करोड़ प्रति वर्ष
   केदारनाथ ₹2.00 करोड़ प्रति वर्ष
   गंगोत्री ₹2.00 करोड़ प्रति वर्ष।

6. आयोग द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों से संबद्ध इकाईयों हेतु निर्धारित अंश के आधार पर यदि किसी निकाय को पूर्व में प्राप्त हो रहे अंतरण से कम अंतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किये गये अंतरण के बराबर धनराशि अंतरित की जायेगी।

7. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित की जाने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंध वाहन यथाः— कूडा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन कय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः—जीप और स्टॉफ कार कदापि कय नहीं किये जायेगें।

8. कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में वेतन, पेंशन एवं सेवा निवृत्तिक देयता आदि के दृष्टिगत पूर्व में अग्रिम धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गई थी कि अग्रिम स्वीकृत धनराशि का निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से वापसी/समायोजन कर लिया जायेगा। पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निकायों हेतु निर्धारित

अंश के आधार पर कतिपय शहरी स्थानीय निकायों की संक्रमण की धनराशि में साधारण वृद्धि हुई है, जिसके कारण अग्रिम स्वीकृत धनराशि का समायोजन करने पर उक्त निकायों पर देयता पूर्ववत बनी रहेगी। उक्त के दृष्टिगत अग्रिम स्वीकृत धनराशि को निकायों की 31 मार्च, 2022 तक की देयता मानते हुये पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कटौती/ समायोजन नहीं किया जायेगा।

(ख) पंचायतीराज संस्थाऐं:–

1. पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत अंश में से जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में परस्पर वितरण **37.5 : 17.5 : 45** के अनुपात में किया जायेगा। आयोग द्वारा क्षैतिज अंतरण हेतु लिये गये संकेतकों को निम्नवत भारांक दिया गया है:–

क्रमांक	ग्रामीण स्थानीय निकाय का नाम	आबादी	क्षेत्रफल	कर प्रयास	पृथकता
1	जिला पंचायतें	60%	20%	10%	10%
2	क्षेत्र पंचायतें	60%	20%	-	20%
3	ग्राम पंचायतें	60%	20%	-	20%

2. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संक्रमित होने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम जिला पंचायत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर किया जायेगा।
3. आयोग के संक्रमण सूत्र के अनुसार जिन गाम पंचायतों की संक्रमण धनराशि ₹2.00 लाख से कम हो रही है, को न्यूनतम ₹2.00 लाख की धनराशि संक्रमित की जायेगी।
4. जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सृजन पर व्यय कर सकेंगी। ऐसी जिला पंचायतें जिनके पास अपने कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है, शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकेंगी।
5. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतीराज विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।
6. ग्राम पंचायतों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र, स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु न्यूनतम ₹ 500/– व अधिकतम ₹1000/– प्रतिमाह संक्रमित की जा रही धनराशि से आकस्मिकता मद में व्यय करने की अनुमति होगी।
7. पंचायतीराज संस्थाऐं संक्रमित धनराशि से निम्नानुसार कार्य करा सकेंगी:–
   (1) कोविड–19 अथवा अन्य कोई संक्रामक बीमारी के फैलने पर संक्रमित धनराशि का 10 प्रतिशत भाग उक्त संक्रमण के बचाव आदि हेतु किया जायेगा।

(2) सरकारी भवनों का रख–रखाव, स्ट्रीट लाईट, खुलें में शौच से मुक्ति, सरकारी भवन एवं सार्वजनिक स्थलों विद्युत देयकों का भुगतान, पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख–रखाव, पेयजल योजनाओं का निर्माण व रख–रखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, समुदायिक शौचालयों / जन सुविधायें, अन्त्येष्टि स्थल की बाउन्ड्री।

8. उक्त कार्यो के साथ–साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अध्याय–5 की धारा–23 (समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम) में उल्लिखित कार्यो को भी आवश्यकतानुसार करा सकेंगी।

(ग) केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि का वितरणः–

1. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–381 / 06 / (वि.आ.निदे.)xxvii(1)/ 2020, दिनांकः 26.05.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान की धनराशि वितरित करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसमें निम्नवत आंशिक संशोधन किया गया हैः–

   1. **पंचायतीराज संस्थाऐंः**– 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित बैण्ड के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का अंश उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 26.05.2020 के अनुसार पूर्ववत ही रहेगा। परन्तु संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं से संबद्ध इकाईयों के बीच अनुदान की धनराशि का वितरण पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा संबद्ध इकाईयों हेतु निर्धारित अंश के आधार पर किया जायेगा।

   2. **शहरी स्थानीय निकायः**– 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान का शहरी स्थानीय निकायों तथा छावनी परिषदों के मध्य पारस्परिक वितरण का अंश उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 26.05.2020 के अनुसार ही रहेगा परन्तु शहरी स्थानीय निकायों यथाः नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों से संबंद्ध इकाईयों के मध्य पारस्परिक वितरण पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अंश के अनुसार किया जायेगा। छावनी परिषद / छावनी बोर्डो हेतु निर्धारित अनुदान की धनराशि का संबंद्ध इकाईयों के मध्य पारस्परिक वितरण 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियॉ 01 अप्रैल, 2021 से 5 वर्षो के लिये 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं संक्रमण सूत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में संक्रमण की धनराशि अंतरित की गई है। उक्त के दृष्टिगत 01 अप्रैल, 2022 से पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं संक्रमण सूत्र के अनुसार संक्रमण की धनराशि अंतरित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थानीय निकायों को संक्रमित धनराशि का पंचम राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के प्रथम वर्ष में समायोजन कर लिया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं संक्रमण सूत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अतिरिक्त संक्रमण देय नहीं होगा।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियॉ प्राप्त होने के उपरान्त यदि आयोग की अवार्ड अवधि के मध्य किसी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण निकायों का शहरी निकाय के रूप में परिवर्तन हो जाता है और नई नगर पालिका परिषदों अथवा नगर पंचायतों का गठन होता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त नव गठित निकाय को उस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण निकाय का अंश ही प्राप्त होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार संक्रमण की धनराशि देय होगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के विघटन होने पर सन्दर्भित वर्ष में ग्राम पंचायत को पूर्ववत निर्धारित अंश ही प्राप्त होगा। ग्राम पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के प्रमाणिक आंकड़ें प्राप्त होने के उपरान्त ही अगले वित्तीय वर्ष से अंश का पुनः निर्धारण कर धनराशि संक्रमित की जायेगी।

3. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु जनगणना–2011 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जनगणना–2021 के आंकड़े प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार निकायों के अंश की पुनः गणना की जायेगी।

5. राज्य के वास्तविक निज कर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि या कमी होने पर स्थानीय निकायों को अंतरित धनराशि की पुनर्गणना की जायेगी तद्नुसार ही अंतरित धनराशि का समायोजन किया जायेगा। वास्तविक निज कर राजस्व प्राप्तियों के आंकडें महालेखाकार से प्राप्त किये जायेंगे।

6. ग्राम पंचायतों का विघटन, परिसीमन अथवा पुनर्गठन होने पर तीनों स्तर की पंचायतें प्रभावित होती हैं। उक्त के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों की जनसंख्या व क्षेत्रफल में एकरूपता के दृष्टिगत संशोधित एवं प्रमाणिक आंकडें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व पंचायती राज विभाग को होगा।

7. निकायों को अंतरित होने वाली धनराशि में किसी परिस्थितिवश परिवर्तन मा0 वित्त मंत्री जी की अनुमति से तथा आयोग की संस्तुति के अनुसार अंतरण फार्मूला में किसी परिस्थितिवश परिवर्तन मा0 वित्त मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमति से किया जायेगा।

(ड़)–सामान्य निर्देशः–

1. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली **(IFMS)** लागू कर दिया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को अंतरित

की जाने वाली धनराशि शहरी स्थानीय निकाय के मामले में निदेशक, शहरी विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के मामलें में निदेशक, पंचायतीराज के निवर्तन पर रखी जायेगी। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार संबंधित विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमण की धनराशि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं जिला पंचायतों को त्रैमासिक किश्त तथा क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं गैर निर्वाचित निकायों को छमाही किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जायेगी।

3. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

4. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

5. अंतरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग केवल उस कार्य के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

6. आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव, वित्त।

संख्याः 266 / (वि.आ.निदे) / **XXVII(1)** /2022, तद्दिनांकित। 2/5/2022

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
(4) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
(5) निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
(6) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (लेखा एवं हकदारी), 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, ड़ाडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
(8) निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31 / 62, राजपुर रोड, देहरादून।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
(11) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(12) समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(13) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
(14) समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(15) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत—उत्तराखण्ड।
(16) समस्त विकास खण्ड अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(17) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
(18) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
(19) एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

01C **(रोहित मीणा)**
अपर सचिव, वित्त।